



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

एनडीपीएस एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी महताब को हुई 03 माह के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त महताब पुत्र हुसैन अहमद कुरैशी निवासी मौ0 मुगलपुरा करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 607/2011 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 26.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त महताब को दोषी पाते हुए 03 माह के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 26.11.2024

**बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1- महेश पुत्र चिरन्जी निवासी सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-निखिल पुत्र विनोद निवासी ग्राम रठौरा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-सोहनलाल पुत्र ओमपाल निवासी पट्टी मादान करबा दोघट जनपद बागपत ।

4-बबली उर्फ कृष्णवीर पुत्र महावीर निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।

2-थाना छपरौली पुलिस टीम ।

3-थाना बालैनी पुलिस टीम ।

4-थाना दोघट पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 26.11.24

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे/निशादेही पर चोरी की हुई 03 मोटर साइकिल बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे/निशादेही पर चोरी की हुई 03 मोटर साइकिल बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 402/24 धारा 317(2)/317(5)/319(2)/336(2) बीएनएस-2023 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

खालिद उर्फ राजा पुत्र स्व0 बाबू निवासी ग्राम बागरणाप थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

### बरामदगी का विवरण

- हीरो होण्डा पेशन प्रो न0 DL5 SBU 5434 (संबंधित मु0अ0सं0 020032/21 थाना जीटीबी एन्कलेब शाहदरा दिल्ली)

- बिना नम्बर प्लेट की हीरो पैंशन प्रो नं0 PB35P 6620
- बिना नम्बर प्लेट की मोटर साईकिल हीरो एचएफ डीलक्स ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 नरेश पाल सिंह थाना खेकडा ।
- 2- उ0नि0 कुलजीत सिंह थाना खेकडा ।
- 3- है0का0 45 अरूण कुमार थाना खेकडा ।
- 4- है0का0 652 मोहित थाना खेकडा ।
- 5- है0का0 442 मौहम्मद आफाक थाना खेकडा ।
- 6-है0का0 516 सतेन्द्र गिरी थाना खेकडा ।
- 7-का0 701 शोकेन्द्र नागर थाना खेकडा ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 26.11.23

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 208/24 धारा 304(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 299/24 धारा 305 बीएनएस में वाछिंत एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से छीना हुआ 01 मोबाइल फोन बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 13.07.24 को थाना खेकड़ा पर वादी अंकित पुत्र राजकुमार निवासी गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा 03 मोबाइलो को झपट्टा मारकर छीन लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 208/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।



2-दिनांक 19.09.24 को थाना खेकड़ा पर वादी सतीश धामा पुत्र सुखवीर निवासी पट्टी रामपुर खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी का मोबाइल वन प्लस, चार्जर चोरी कर लिया है तथा वादी के पड़ोसी के घर से 02 पाजेब चांदी व 10 हजार रुपये नगद चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 299/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

## कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 208/24 धारा 304(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 299/24 धारा 305 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से मु0अ0सं0 208/24 धारा 304(2) बीएनएस में छीना हुआ एक मोबाइल फोना बरामद हुआ हैं। अभियुक्त द्वारा मु0अ0सं0 299/24 धारा 305 बीएनएस की घटना को स्वीकार करते हुये बताया कि वन प्लस मोबाइल व पाजेब मैंने एक राह चलते अन्जान व्यक्ति को 5000 रूपये में बेच दिये थे। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मु0अ0सं0 208/24 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.तालीम उर्फ तालीब पुत्र मौमीन निवासी ग्राम भड़ल थाना दोघट जनपद बागपद व हाल निवासी मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।



## गिरफ्तार अभियुक्त तालीम उर्फ तालीब का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 208/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 299/24 धारा 305 बीएनएस थाना खेकडा बागपत

## बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाइल वीवो कम्पनी।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 अबरार हुसैन थाना खेकडा
- 2- का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा
- 3- हो0गा0 632 आदेश त्यागी थाना खेकडा

